न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 169/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/210**

1. मुकनाराम पुत्र स्व. तुलछाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष पेशा खेतीकास्त निवासी गंगानगर रोड पानी की टंकी के पास, बीछवाल ग्रामीण एरिया बीछवाल तहसील व जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बीकानेर।
2. श्रीमति निधि स्वामी पत्नि श्रीसुभाष स्वामी सेक्टर नंबर 5 आर.आर.बी स्कूल के अन्दर जयनारायण व्यास कॉलोनी तहसील व जिला बीकानेर।
3. गंगाराम पुत्र स्व. तुलछाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष पेशा खेतीकास्त निवासी गंगानगर रोड पानी की टंकी के पास, बीछवाल ग्रामीण एरिया बीछवाल तहसील व जिला बीकानेर।
4. सांवरलाल पुत्र स्व. तुलछाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष पेशा खेतीकास्त निवासी गंगानगर रोड पानी की टंकी के पास, बीछवाल ग्रामीण एरिया बीछवाल तहसील व जिला बीकानेर।
5. हरिराम पुत्र स्व. तुलछाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष पेशा खेतीकास्त निवासी गंगानगर रोड पानी की टंकी के पास, बीछवाल ग्रामीण एरिया बीछवाल तहसील व जिला बीकानेर।

— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री राधाकिशन स्वामी – अभिभाषक अपीलांट
श्री संदीप स्वामी – रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5

निर्णय

दिनांक 23.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर के आदेश दिनांक 10.07.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 486–250 आरडी के मु.न 133/39 के किला नं. 21 ता 25 व मु.न. 133/47 के किला नं. 21 ता 25 में से कटानी अवरूद्ध रास्ता बताते हुए तहसीलदार बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 10.07.2025 द्वारा उक्त बंद रास्ते को खुलवाने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राधा किशन स्वामी ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि बाबत किसी प्रकार की सुनवाई व सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगेर तथा मौके बाबत किसी प्रकार की आपत्ति लिए बगैर केवल मात्र एक प्रार्थना–पत्र जो दिनांक 05.03.2025 को प्रस्तुत होना बताया गया है। जिस पर लक्ष्मण, जेठाराम, गंगाराम, मुकनाराम, रामकिसन आदि के हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में 23.07.2025 को हल्का पटवारी द्वारा जो फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें उक्त 5 प्रार्थीगण में से किसी भी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगुठा नही अंकित है। इसका तात्पर्य यह है कि उक्त कार्यवाही षडयंत्र रचकर अपीलांट को उसकी खातेदार भूमि से बेदखल करने किसी रसुकदार व्यक्ति के निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु रास्ते की आड में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। उक्त कटानी अवरूद्ध रास्ते की आड में जो मोके पर रास्ता खुलवाने जाने का आदेश पारित किया गया वह वास्तव में पूर्व में चले आ रहे रास्ते को स्थान्तरित किये जाने की मंशा से पारित किया गया हैं, क्योंकि उक्त रास्ता तो पूर्व से 50–60 वर्षो से मौके पर चला आ रहा हैं नया रास्ता कायम किये जाने की कतई आवश्यकता ही नही है। आदेश जैर अपील की आड़ में नया रास्ता कायम किया जा रहा है। जैर अपील आदेश की आड में मु. नं. 133/39 के किला नंबर न. 21 ता 25 व मु. नं. 133/47 के किला नंवर कटाणी 2–2 बिस्वा स्वीकृतशुदा कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता खेतों से होकर नेशलन हाईवे बीकानेर से श्रीगंगानगर रोड में मिलता है उक्त आदेश दिनांक 10.07.2025 आड में मौके पर पूर्व मे चले आ रहे रास्ते से छेडछाड करते हुए आदेश अधिनस्थ न्यायालय की आड में नया रास्ता कायम किया जाकर जो पूर्व से निर्धारित रास्ते का स्वरूप व दिशा बदलते हुए मौके पर काबिज कास्तकार अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किये जाने की चेष्टा की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'ए' के प्रावधान के अनुसार भी यहां पर वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहा पर नया रास्ता केवल मात्र किसी का वेजा फायदा पहुंचाने की गरज से कायम नही किया जा सकता ना ही किसी काश्तकार की भूमि को इस आशय से की वह काबिल काश्त रहे नया रास्ता कायम किया जा सकता है। मौके पर पूर्व में चले आ रहे रास्ते से छेडछाड करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में नया रास्ता कायम किया जाता है तो आमजन व काश्तकारों के हितों पर कुठाराघात साबित होगा एवं वह विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धोन्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 10.07.2025 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट्स मंजुर फरमाई जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अदालत सहायक कलक्टर बीकानेर के यहां एक अनुवानी मुकदमा श्रीमति निधि स्वामी बनाम किरण चौधरी आदि जैरकार था जिसमें माननीय अदालत द्वारा दिनांक 21.04.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की पारित की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि जो वाके चक 489—250 आर.डी के मुरब्बा नंबर 133/39 के किला नंबर 15,16,17,/1,24/1,25/1 कुल 5 किला में 1.0748 हैक्टयर तथा मुरब्बा नंबर 133/47 के किला नंबर 11,12,13,14/1,17/2,18,19,20, 21/2,22/1,23/224/1 कुल 12 किला में तादादी 2.8577 हेक्टयर इस प्रकार कुल 2 मुरब्बों की 3.9325 हैक्टयर खेती भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी 20.05.2025 तक यथावत बनाये रखें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा अभी तक निरंतर जारी है, जो सहायक कलक्टर बीकानेर द्वारा ना ही निरस्त की गई है और इस बात की अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर को भली—भाती जानकारी थी क्योंकि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का स्थगन नोट तहसील कार्यालय के कम्प्युटर में नोट अंकन था। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर पूर्व में चले आ रहे रास्ते के आदेश जैर अपील की पालना में मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खेत के मध्य/बीचों बीच में उक्त आदेश की आड में नया रास्ता निकाले जाने की संभावना है जो पूर्व में चले आ रहे रास्तो को एक तरह से स्थान्तरित किया जाना प्रतीत हो रहा है जो खुल्ले आम न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पडौसी काश्तकार किरण चौधरी व स्वैता चौधरी आदि काश्तकारों की भूमि में मौके पर इज्जाफा हो जाये इसी गरज से उक्त रास्ता निकाले जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट्स को आदेश जैर अपील में भी प्रभावित व्यक्ति है। उसे पक्षकार बनाये बगैर तथा उसे समुचित सुनवाई व सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो विधि के मान्य सिद्धोन्तों के विपरित होने के कारण काबिल खारिज योग्य है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर वास्तव में बिना प्रार्थना—पत्र के जैरकार रहते हुए मौके पर कटाणी रास्ता जो पूर्व में लगभग 50—60 वर्षो से यथावत रूप से चला आ रहा हैं जो बिना रूकावट के चल रहा है उसे केवल मात्र परिवर्तन करने की मंशा से आदेश जैर अपील पारित किया गया है ताकि उसे अपने निर्धारित स्थान पर आदेश जैर अपील की पालना में परिवर्तन किया जाकर निजी खातेदार काश्तकार स्वेता

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चौधरी व किरण चौधरी की भूमि को मौके पर बढाया जा सकें तथा श्रीमति निधि स्वामी की भूमि के खेत के मध्य में उक्त रास्ते का स्थापित किया जाकर पूर्व में चले आ रहे रास्ते का परिवर्तन किया जाकर नया रास्ते कायम कर दिया जावें। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार बीकानेर दिनांक 10.07.2025 को निरस्त फरमाया जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा लिखित बहस एवं दौराने बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादगत भूमि मु.न 133/39 के किला नं. 21 ता 25 व मु.न. 133/47 के किला नं. 21 ता 25 में से कटानी अवरूद्ध रास्ता बताते हुए तहसीलदार बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 10.07.2025 द्वारा उक्त बंद रास्ते को खुलवाने का आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई मौका दिए बिना पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश का आधार एक प्रार्थना–पत्र बताया है, उस पर लक्ष्मण, जेठाराम, गंगाराम, मुकनाराम, रामकिसन आदि के हस्ताक्षर है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी द्वारा जो फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई उस पर उक्त प्रार्थना–पत्र के प्रार्थीगण में से किसी के भी हस्ताक्षर अथवा अंगुठे का अंकन नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2025 परित करने से पूर्व न्यायोचित प्रक्रिया पालन नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2025 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर